

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर


—::कार्यालय आदेश::—

निम्नांकित कार्मिक का उसके नाम के सम्मुख स्थान पर स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से किया जाता है, यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित/स्वीकृत है :-

S.N O.	NAME	POST	PRESENT POSTING PLACE	DISTRICT	TRASFERED POSTING PLACE	DISTRICT	TA/DA APPLICABLE
1	RAJ LAXMI PANDEY	JUNIOR ASSISTANT	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JAMSAR (211194)	BIKANER	GSSS SWADARI DEOGARH (222745)	RAJSAMAND	NO

संबंधित संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्मिक को कार्यमुक्त /कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नलिखित शर्तों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें :-

- 1 संबंधित कार्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से ही किया जावे।
- 2 टीएसपी से नॉन टीएसपी में यदि स्थानान्तरण हो गया है तो कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराया जावे।
- 3 राजस्थान स्वैच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत पदस्थापित कार्मिकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार (शहरी क्षेत्र के विद्यालयों हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे) ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावे।
- 4 राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत प्रतिनियुक्त, लम्बे समय से अनुपस्थित, निलम्बित एवं स्थानान्तरण पर पूर्व में न्यायिक स्थगन प्राप्त अधिकारियों के संबंध में उक्त आदेश का क्रियान्वयन ना कराते हुए तत्काल इस कार्यालय को अवगत करवाते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे।
- 5 संबंधित कार्मिक का स्वेच्छा से मण्डल परिवर्तन होने के कारण मण्डल में वरिष्ठता का निर्धारण किया जावेगा, एवं संबंधित कार्मिक के कार्यग्रहण से पूर्व कर्मचारी की वरिष्ठता नियमानुसार नए मण्डल में अपने पद के कनिष्ठतम कार्मिक के नीचे अंकित की जावेगी। इस हेतु कार्मिक के कार्यग्रहण करने से पूर्व सहमति पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जावे।
- 6 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापित कार्मिक का पदस्थापन/स्थानान्तरण महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में होने पर ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावे।
- 7 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापित कार्मिक का पदस्थापन/स्थानान्तरण अन्य विद्यालय/कार्यालय आदि में होने पर आदेश का क्रियान्वयन ना कराते हुए तत्काल इस कार्यालय को अवगत करवाते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे।



(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

दिनांक :- 28.07.2022

क्रमांक : शिविरा-माध्य/साप्र/ए-2-3/स्थानान्तरण/2022 /111

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, स्वतंत्र प्रभार, राजस्थान जयपुर।
2. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा बीकानेर/उदयपुर।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा बीकानेर/राजसमंद।
6. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
7. संबंधित संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष, राउमावि जामसर बीकानेर/ राउमावि. स्वादड़ी देवगढ़ राजसमंद।
8. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

(उपनिदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर